प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.05.2026

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा ट्रांसफॉर्मर से सामान की चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी का सामान बरामद ।

आज दिनांक 16.05.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अरिहंत विहार कालोनी, पैट्रोल पम्प के पास कादराबाद में ट्रांसफॉर्मर से सामान की चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. संदीप पुत्र रवि निवासी दिल्ली तथा 2. प्रवीन पुत्र चेतराम निवासी आजदपुर दिल्ली को थाना मोदीनगर क्षेत्र से हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी का सामान व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गयी है । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर धारा- 136 विद्युत अधिनियम व 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो यहाँ अपने दो अन्य साथियों मुकेश पुत्र शौदान तथा इमरान पुत्र सब्बीर अहमद के साथ ट्रांसफॉर्मर का सामान चोरी करने के लिए आये थे, बरामद गाडी इमरान की है । हम चारों यहां इसी गाडी से कालोनी में रखे ट्रांसफॉर्मर से सामान चोरी करने आये थे। हमने ट्रांसफॉर्मर के अन्दर से सामान चोरी कर लिया था व चोरी किये सामान को हम इसी गाडी में रख रहे थे तभी हमें लोगों ने देख लिया, हम जल्दी जल्दी समान रख कर वहाँ से भागे तो हमारी गाडी खेत में गड्डे में फंस गयी। हमारे दो साथी इमरान व मुकेश मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. संदीप पुत्र रवि निवासी आजादपुर दिल्ली मूल निवासी गावं मजगई थाना जिला तुलसीपुर डांग नेपाल उम्र करीब 21 वर्ष
2. प्रवीन पुत्र चेतराम निवासी आजादपुर दिल्ली मूल निवासी करौरा जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 27 वर्ष

वांछित अभियुक्तों के नाम व पता

1- इमरान पुत्र सब्बीर अहमद निवासी ब्रिजपुरी मुस्तफाबाद नई दिल्ली

2- मुकेश पुत्र शौदान

बरामदगी का विवरण- कब्जे से चोरी किया गया ट्रांसफॉर्मर का सामान व घटना में प्रयुक्त सामान (05 कोयल, 03 गत्ते कागज के, 02 लोहे का एंगल, 02 टीन की पत्ती, 01 स्क्रू बॉक्स, 02 पेचकस, 01 प्लास्टिक का चाकू, 01 पाना, 03 पत्ती कॉपर की छोटी, 01 पत्ती कॉपर की बडी, 03 बोल्ट) तथा घटना में प्रयुक्त गाडी बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त प्रवीन के विरुद्ध जनपद बुलंदशहर में चोरी से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो व मारपीट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 15.05.2026 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो व वादिया द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर दी और बताया कि 01 व्यक्ति द्वारा होटल युवराज में अभियुक्त व उसके अन्य साथी के द्वारा लडकी की मांग करना तथा मेरे द्वारा अभियुक्त को ऐसा करने से रोकने टोकने व आपत्ति प्रकट करने पर व्यक्ति द्वारा मुझे पैसो का प्रलोभन देकर साथ चलने के लिए कहना मेरी लज्जा भंग करना तथा अपमानित करते हुए व मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा 75,115(2),351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 16.05.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त शिवम गौतम पुत्र जगजीवन राम निवासी म0नं0 217 प्रहलादगढी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को होटल युवराज के गेट शक्तिखण्ड-4 गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त शिवम गौतम उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि सर मैं होटल युवराज में कमरा बुक करने गया था जिसमें मैं शराब के नशे में भी था तभी होटल संचालिका द्वारा मुझसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जिसमें मेने उत्तेजित होकर मारपीट कर दी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

- शिवम गौतम पुत्र जगजीवन राम निवासी म0नं0 217 प्रहलादगढी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोगः-

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।